

(7)

Vill - Bakkas.

Khasta - 884 (स)

(X)

2/1/18

रु. 5000

Rs. 5000

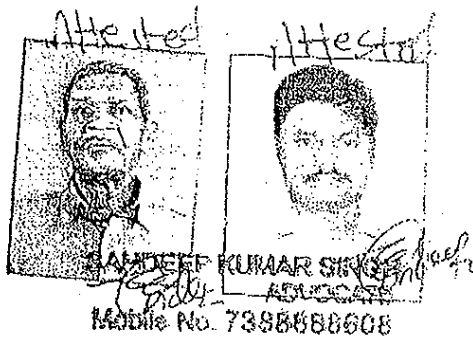
पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

3204



विक्रय मूल्य - रु 3,15,000/-
मालियत - रु 3,15,000/-
स्टाम्प - रु 22,050/-
परगना - मोहनलालगंज

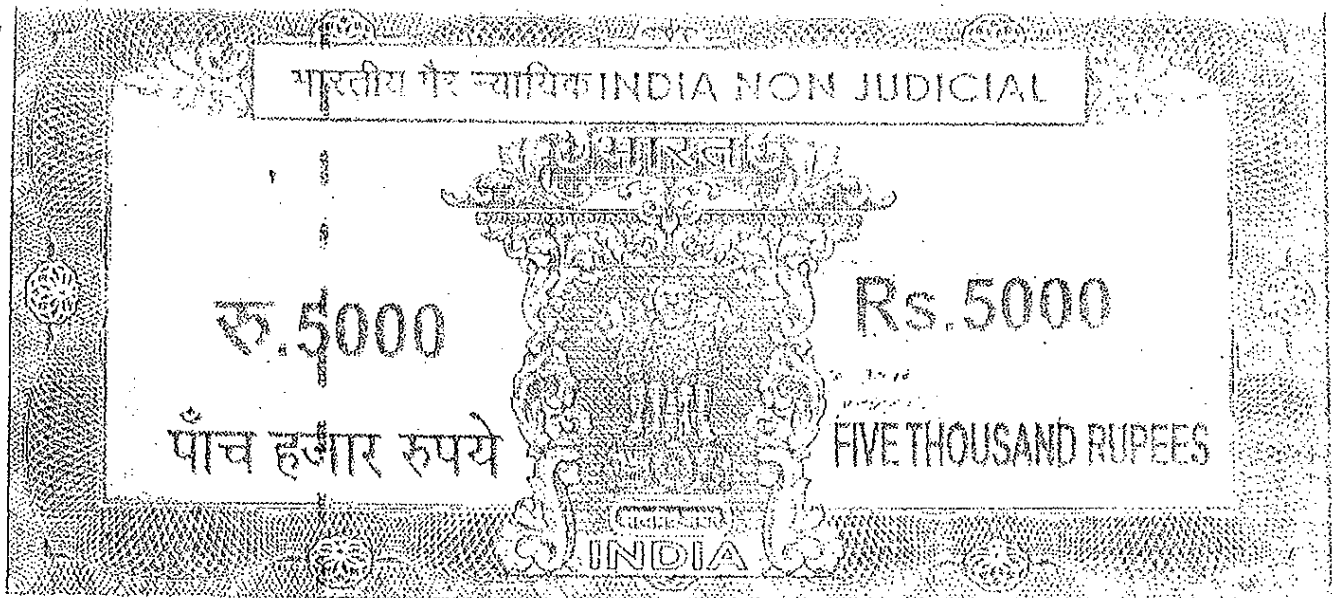
विक्रय विलेख

विक्रय विलेख का संक्षिप्त विवरण:-

1. भूमि का प्रकार - कृषि
2. परगना - मोहनलालगंज (कोड-101)
3. मोहल्ला/ग्राम - बक्कास (वी कोड-0095)

राजाशम

2



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A/5013289

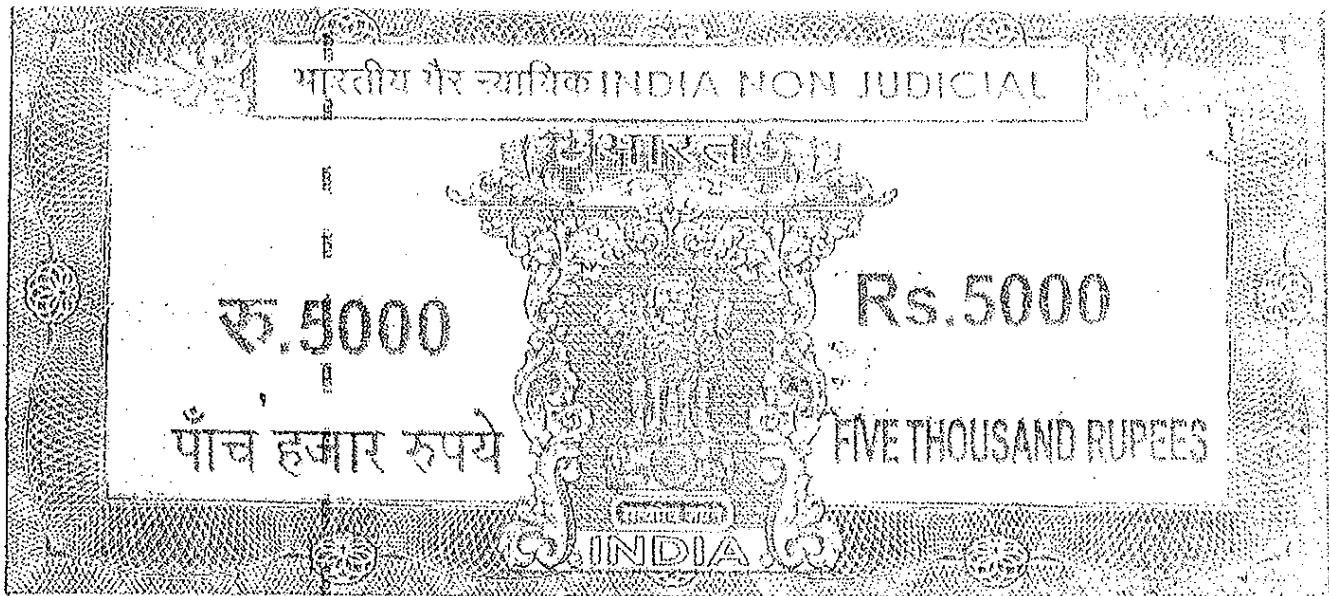
(2)

4. सम्पत्ति का विवरण - भूमि खसरा सं०-884स का 1/2 भाग
5. मापन की इकाई - हेक्टेअर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.0630 हेक्टेअर
7. सड़क की स्थिति-(परिशिष्ट के अनुसार)
- मुख्य मार्ग सुल्तानपुर रोड से 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर।
8. अन्य विवरण (लिंग/खड़ण्जा/जनपदीयें मार्ग इत्यादि)-नहीं
9. सम्पत्ति का प्रकार :- कृषि भूमि
11. पेड़ों का मूल्यांकन - X
12. बोरिंग/कुआं/अन्य - X
13. निर्माण का वर्ष - X
14. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है- नहीं
15. प्रतिफल की धनराशि 3,15,000/- रुपये

नि. सं.



राज्य सरकार



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(3)

भूमि खसरा संख्या-884स की चौहद्दी

पूरव : भूमि खसरा सं०-904 व 903

पश्चिम : भूमि खसरा सं०-882 व 883

उत्तर : भूमि खसरा सं०-870 व 885

दक्षिण : भूमि खसरा सं०-883

प्रथम पक्ष की संख्या (1)

द्वितीय पक्ष की संख्या (1)

विक्रेता का विवरण

राजाराम पुत्र भगवन्त निवासी-दुल्लापुर, मजरा-बक्कास, परगना व
तहसील-मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ, उ०प्र०।

क्रेता का विवरण

अजय कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी-म०न०-16ए/399, वृन्दावन
योजना-4, रायबरेली रोड, लखनऊ, उ०प्र०।

राजाराम



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

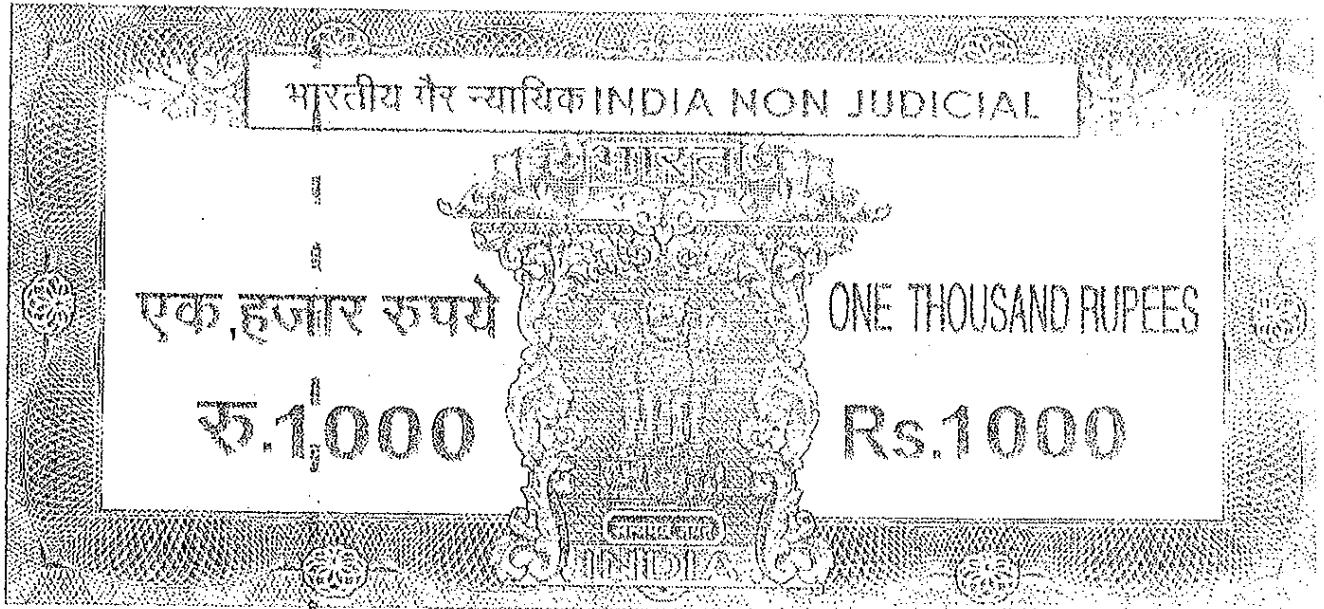
(4)

यह विक्रय विलेख राजाराम पुत्र भगवन्त निवासी—
दुल्लापुर, मजरा-बक्कास, परगना व तहसील-मोहनलालगंज,
जिला-लखनऊ, उ०प्र० (जिसे आगे इस विलेख में विक्रेता
कहा गया है) के द्वारा अजय कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद
निवासी-म०न०-16ए/399, वृन्दावन योजना-4, रायबरेली
रोड, लखनऊ, उ०प्र० (जिसे आगे इस विलेख में क्रेता कहा
गया है) के पक्ष में निष्पादित किया गया है।

जो कि विक्रेता भूमि खाता संख्या-482, खसरा
संख्या-884स कुल रकबा 0.1260 हेक्टेयर का 1/2 भाग
यानी 0.0630 हेक्टेयर, स्थित ग्राम-बक्कास, परगना व

राजाराम

5



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(5)

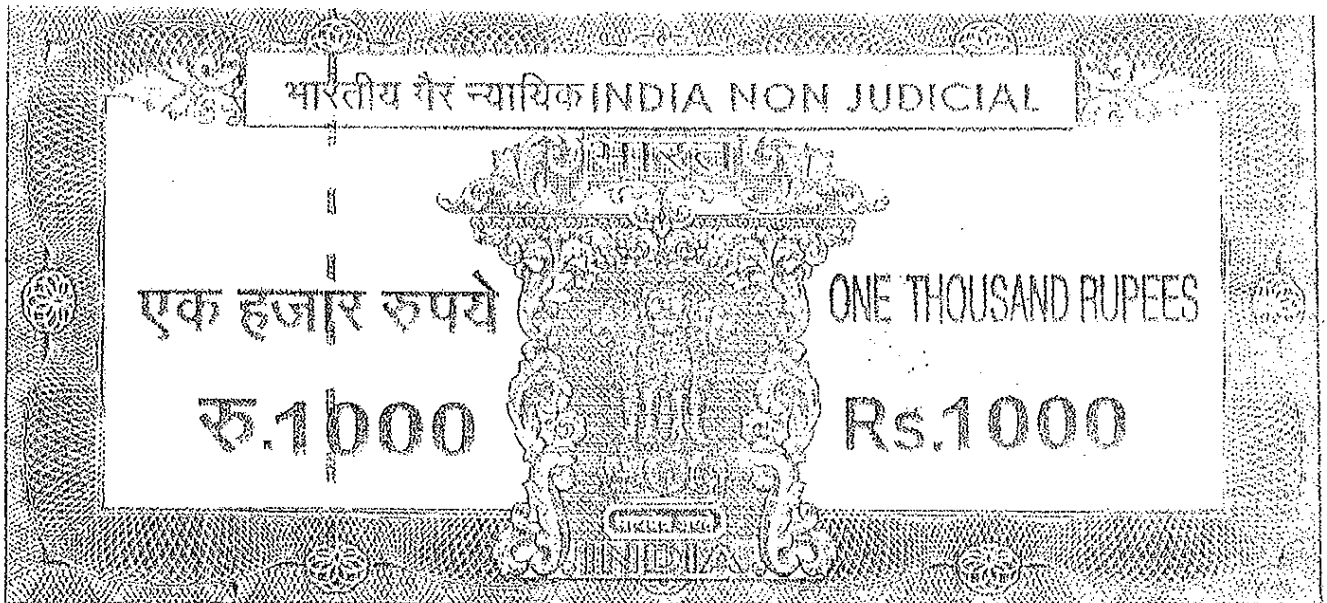
तहसील- मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ, का मालिक, कामिल व काबिज है। उक्त भूमि को विक्रेता की पैतृक सम्पत्ति है, जो राजस्व अभिलेखों में विक्रेता के नाम संक्रमणीय भूमिधर सहस्वातेदार के रूप में दर्ज है।

उक्त भूमि हर प्रकार के विवादों, भारों, अजकिस्ण, रेहन, बंधक, इकरार, कुर्की, जमानत, हिबा, ऋण आदि से पूर्णतया बरी व पाक-साफ है, जिसको विक्रय करने का पूर्ण मालिकाना अधिकार विक्रेता को प्राप्त है। अब अपनी राजीखुशी से बिना किसी जोर दबाव नाजायज के बजरुरत होशो हवास में उपरोक्त वर्णित भूमि नगदरी व पैमायशी को बकीमती मुबलिंग

ले. म.

राजाराम

जिंग

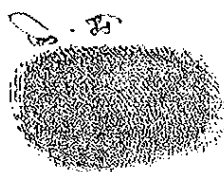


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



(6)

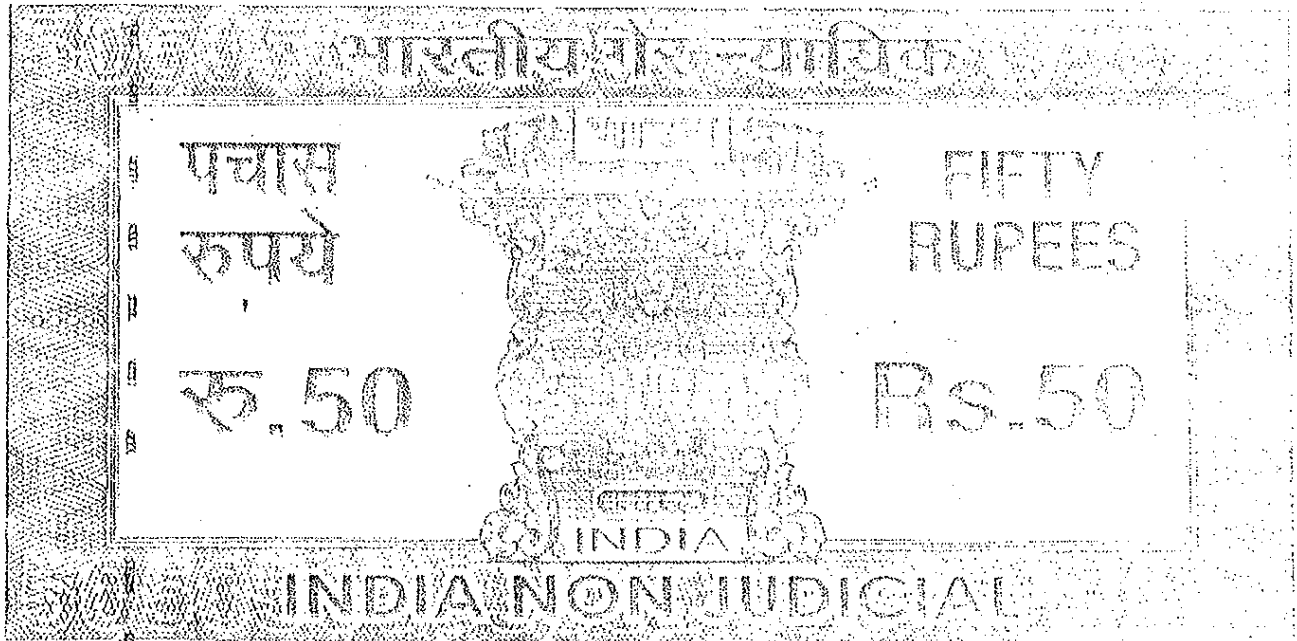
रुपया-3,15,000/- (तीन लाख पन्चह हजार रुपया मात्र)
जिसके आधे रुपया-1,57,500/- (एक लाख सत्तावन
हजार पाँच सौ रुपया मात्र) होते हैं, मैं बदस्त अजय कुमार
पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी-म0नं0-16ए/399, वृन्दावन
योजना-4, रायबरेली रोड, लखनऊ, उ0प्र0, (क्रेता) के
पक्ष में विक्रय कर दिया यानि बेच दिया और कुल विक्रय मूल्य
क्रेता से वसूल पाकर कब्जा दखल मालिकाना विक्रेता ने अपने
ही समान क्रेता उपरोक्त का बखूबी करा दिया। अब आज की
तारीख के बाद से विक्रेता या उसके किसी वारिसान व कारयम



राजाराज

जि

7



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(7)

मुकामान का कोई हक या हिस्सा व दावा उक्त विक्रीत भूमि या उसके विक्रय मूल्य के संबंध में किसी प्रकार का बाकी नहीं रहा। अगर कोई व्यक्ति विक्रीत भूमि या उसके विक्रय मूल्य के संबंध में क्रेता उपरोक्त से अपना हक जतावे या दावा करे तो दावा उसका इस बैनामें के समक्ष बिल्कुल नाजायज व शून्य होगा और अगर किसी व्यक्ति की दावेदारी या उज्जदारी या हकदारी से विक्रीत भूमि का कुल या जुज भाग क्रेता उपरोक्त के कब्जे से किसी भी समय निकल जावे या कब्जा न मिले, मिलिक्यत या हकीयत विक्रेता की करार न पाई जाए, या अन्य किसी प्रकार से उपरोक्त भूमि के कागजात विवादित अथवा भार ग्रसित निकले तो ऐसी तमाम सूरतों में क्रेता उपरोक्त को हक व अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा दिया गया कुल

M-9

— 8



शासनम्

रुपया मय हर्जा व खर्चा व नुकसान सहित विक्रेता व उसके वारिसान व कायम मुकामान की अन्य चल व अचल सम्पत्ति से न्यायालय द्वारा वसूल कर लेवे, विक्रेता को कोई मुकाम उज्र का न होगा। अब आज की तारीख से क्रेता उपरोक्त को अधिकार होगा कि वह उपरोक्त विक्रीत भूमि को समस्त सरकारी अभिलेखों में जहाँ उचित समझे अपने नाम दर्ज करा लेवे, विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

विक्रीत भूमि मुख्य मार्ग सुल्तानपुर रोड से 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रीत भूमि में कोई कुआँ या ट्यूबवेल या इमारत आदि नहीं है तथा 200 मीटर त्रिज्या के अन्दर कोई निर्माण या आबादी/आवासीय गतिविधियाँ विद्यमान नहीं है। विक्रीत भूमि पर कोई पेड़ आदि नहीं लगा है और उक्त भूमि कृषि भूमि है। विक्रेता व क्रेता दोनों ही अनुसूचित जाति के सदस्य हैं।

विक्रीत भूमि ग्राम-बक्कास, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ के अर्द्धनगरीय क्षेत्र में स्थित है। विक्रीत भूमि का कुल क्षेत्रफल-0.0630 हेक्टेयर है, जिसकी मालियत श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय लखनऊ द्वारा जारी मूल्यांकन सूची के अनुसार सरकारी मूल्य रुपया 50,00,000/- प्रति हेक्टेयर की दर से निर्धारित है। विक्रीत भूमि किसी राष्ट्रीय मार्ग, राजकीय मार्ग, जनपदीय मार्ग व सम्पर्क मार्ग पर स्थित नहीं है। अतः निर्धारित दर के अनुसार विक्रीत भूमि की

श.र.

शा.र.म.

3-8

315,433.00 /	315,000.00	6,300.00	20	6,320.00	1,000
प्रतिपक्ष	प्रतिपक्ष	पक्ष गंतव्य	मध्य व प्रति गुण	पक्ष	प्रति गंतव्य
प्रति	प्रति				
प्रति	प्रति				

26/12/2014

अपिता श्री पाण्डेय
उ.लि. मोहनलालगंज
लखनऊ

कुल सरकारी मालियत भुवलिग रुपया-3,15,000/- होती है, जो कि विक्रय मूल्य के बराबर है। अतः विक्रय मूल्य पर शासकीय शासनादेश संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या-स.वि.क.नि.5-2756/11-2008-500(165)/2007 दिनांक 30.06.2008 के अनुसार 7 प्रतिशत की दर से रुपया-22,050/- का स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है। क्रेता व विक्रेता के मध्य पूर्व में कोई इकरारनामा बय पंजीकृत नहीं किया गया है। उक्त विक्रीत भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है। विक्रेता व क्रेता का स्थायी व अस्थायी पता उपरोक्तानुसार है। विक्रीत भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण या उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की किसी भी योजना में अधिगृहीत नहीं की गई है और न ही प्रस्तावित है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख समक्ष गवाहान उभय पक्षों ने खूब सोच समझ कर बिना किसी जोर दबाव नाजायज के बदुरुस्त होशोहवास व स्वस्थ चित्त मन से अपने-अपने हस्ताक्षर करके निष्पादित कर पंजीकृत करा दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

विवरण भूमि बिक्रीशुदा

भूमि खाता संख्या-482, खसरा संख्या-884स
कुल रकबा 0.1260 हेक्टेयर का 1/2 भाग यानी 0.0630
हेक्टेयर, स्थित ग्राम-बकवास, परगना व तहसील-
मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ।

स. वि. क. नि. 5-2756/11-2008-500(165)/2007
संज्ञासम

5/11

विक्रेता

Registration No. 22005

Year 2014

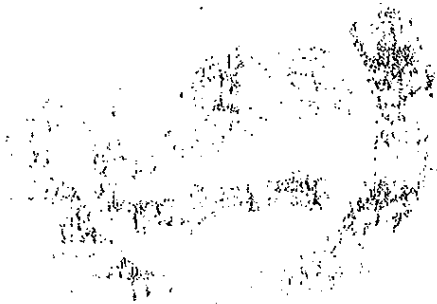
Book No. 1

0101 राजाराम

कला

दृष्टिकोण मध्यमकालीन भारतीय चित्रकला

म. २०१२



तफसील वसूलयाबी जरसमन

1. रुपया-3,15,000/- प्राप्त द्वारा चेक संख्या- 657864
दिनांकित 29/12/2014 अदाता अर्द्ध सी अर्द्ध रवी अर्द्ध
वर्क लखनऊ

कुल विक्रय मूल्य रुपया-3,15,000/- (तीन लाख
पन्द्रह हजार रुपया मात्र) विक्रेता ने क्रेता से उपरोक्तानुसार
प्राप्त कर लिया है। अब कोई भी धनराशि विक्रीत आराजी से
सम्बन्धित क्रेता से विक्रेता को पाना शेष नहीं रहा।

लखनऊ

दिनांक : 26.12.2014

हो. विक्रेता

हो. विक्रेता राजाराम

1. गवाह : चौटे लाह रावत S/O

राजाराम खुल्तापुर बिक-वास

पता : मोहन लाह गंज लखनऊ

2. गवाह :

सदीप 1256

हो. क्रेता

पता :

कलेक्ट्रेट लखनऊ

हो. क्रेता

टाइपकर्ता

(अनिल बालाजी)

कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

मसविदाकर्ता

(संदीप कुमार सिंह)

हो. क्रेता

कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

किता

Registration No 22005

Year 2014

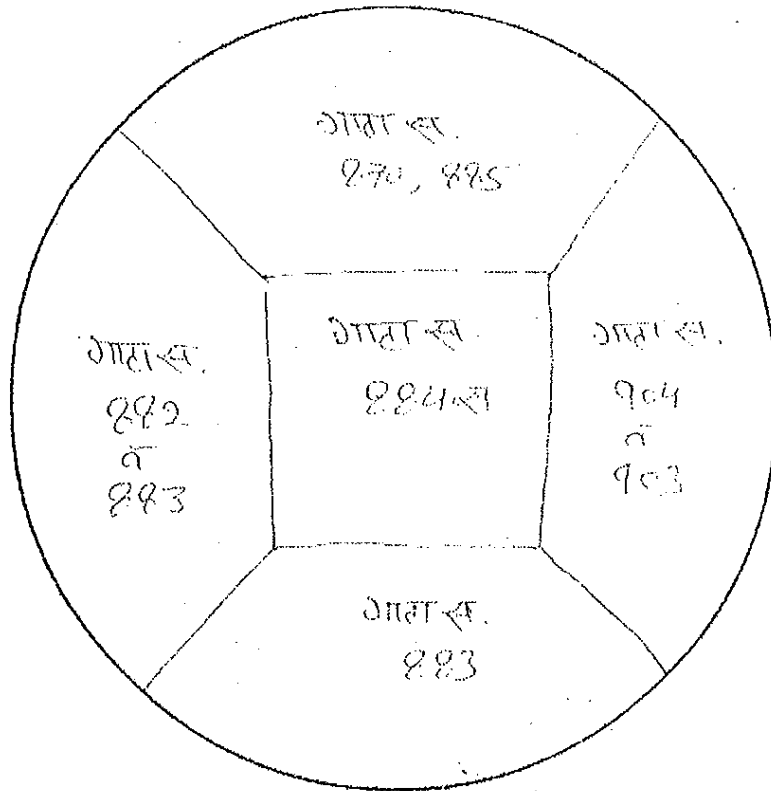
Book No. 1

0201 अरुण कुमार
अनिल प्रसाद
प्रमुख प्रमाण योजना अन्तर्गत
आधार



0-200 मीटर की त्रिज्या में मानचित्र

भूमि खाता संख्या-482, खसरा संख्या-884स कुल रकबा
0.1260 हेक्टेयर का 1/2 भाग यानी 0.0630 हेक्टेयर, स्थित
ग्राम-बक्कास, परगना व तहसील- मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ।



राजाराम
ह0 विक्रेता

ह0 क्रेता

आज दिनांक 26/12/2014 को

वही सं 1 जिल्ल सं 5278

पृष्ठ सं 223 स 244 पर क्रमांक 22005

संशोधित किया गया

(निर्देशक अधिकारी के हस्ताक्षर)

अर्पिता शर्मा पाण्डेय

उ.नि.मोहनलालगंज

लखनऊ

26/12/2014

